न्यायालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संत कबीर नगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–882/2026

(CNR–UPSK010023802026)

राधेश्याम उर्फ गुड्डू, उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र रामअजोरे, निवासी ग्राम–सरौवा, थाना दुधारा, जिला संत कबीर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी

मु०अ०सं०–26/2025
धारा–115(2), 351(3), 352, 74 एवं 76 बी०एन०एस०,
थाना–दुधारा, जनपद–संत कबीर नगर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र 4 क–

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **राधेश्याम उर्फ गुड्डू** की ओर से थाना दुधारा, जनपद संत कबीर नगर के मु०अ०सं०–26/2025, धारा–115(2), 351(3), 352, 74 एवं 76 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत वर्णित अपराध में अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 08.02.2025 को समय करीब 05 बजे शामं को उसकी पुत्री जो खेत से होकर वापस घर आ रही थी, गावं के गुड्डू पुत्र राम अजोर एवं सूरज पुत्र नन्दलाल, गुड्डू के मकान के पीछे सड़क पर खड़े थे ज्यों ही उसकी पुत्री पहुंची कि विपक्षीगण उसकी पुत्री को देखकर अश्लील बाते कहे। उसकी पुत्री द्वारा विरोध करने पर गंदी–गंदी गाली देते हुए लात मुक्का व डण्डा से मार पीट दिये तथा मारने पीटने से उसकी पुत्री का वस्त्र भी फट गया तथा चोटे आयी। हल्ला गुहार सुनकर तमाम लोग आये और बीच बचाव किये तथा जाते–जाते जान से मारने की धमकी दिये। विपक्षीगण मनबढ़ व दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। अतः उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह निर्दोष है उसने कोई जुर्म नहीं किया है। वादी ने महज गांव के रंजिश के कारण अभियुक्त के खिलाफ फर्जी घटना बनाकर धन उगाही के कारण मुकदमा दर्ज करा दिया है। कथित प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस में विरोधाभास है। कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, जो भी साक्षी बनाये गये है वे या तो वादी मुकदमा के घर के अथवा मेली मददगार हैं। वादिनी मुकदमा को दो–दो लोगों द्वारा मारना पीटना कहा गया है, जबकि कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं संलग्न है। अभियुक्त बाल बच्चेदार व्यक्ति हैं। अभियुक्त के मफरूरी की कोई आशंका नहीं है। प्रार्थी अग्रिम जमानत देने को तैयार है। वह जमानत के पश्चात विचारण में सहयोग करेगा। अतः अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है और कहा गया है कि अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उभय पक्ष को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संबंधित पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ अश्लील हरकत कर गाली गुप्ता देने, लाठी–डण्डा से मारने–पीटने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है।

केस डायरी में उपलब्ध पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस में अभियुक्त एवं एक अन्य सहःअभियुक्त द्वारा पीड़िता को पकड़ कर उसके साथ बदतमीजी कर कपड़ा फाड़ देने, दुपट्टा खींच लिये जाने, उसकी मां को मारने पीटने एवं पीड़िता पर तेजाब फेंकने की धमकी दिया जाना अंकित किया है, जबकि वादिनी मुकदमा द्वारा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। इस प्रकार वादिनी एवं पीड़िता द्वारा अपने विरोधाभासी बयान दिया गया है। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

दौरान विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसका आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and another, Smt. Bacchi Devi Vs. State of U.P. and Another 2025 AHC 136034 एवं Siddharth Vs. State of U.P. (2021) 1 SCC 676** में यह निर्धारित किया गया है कि जहां दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार न किया गया हो और आरोप पत्र न्यायालय में आ चुका हो तो उस अभियुक्त की जमानत कर दी जायेगी और यह भी निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त निर्देश अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर भी लागू होगा।

मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत पर प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त राधेश्याम उर्फ गुड्डू का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० **50,000/– रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के **दो** प्रतिभू प्रस्तुत करने तथा निम्नलिखित शर्तों के संबंध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए–

1. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण के दौरान साक्ष्य आने पर बिना किसी अपरिहार्य कारण कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
2. अभियुक्त साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
3. बिना न्यायालय अनुमति के भारत देश नहीं छोड़ेगा।

इस आदेश की एक–एक प्रति संबंधित न्यायालय तथा संबंधित विवेचक/थानाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित किया जाये।

दिनांक–17.06.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O. Code–UP05761]
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by RANDHEER SINGH
Date: 2026.06.17 16:24:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court